



jkT; LokLF; l fefr] fcgkj



i fioki dY: k k Hou 'k ki ik i Vuk&14

vYi dkyhu fufonk

("राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा – पूर्व से चिपके विनाईल स्टीकर को हटाने तथा नये विनाईल स्टीकर के संस्थापन हेतु अल्पकालीन निविदा 2014")

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना द्वारा बिहार राज्य के सभी जिलों में 102 एवं 108 सेवान्तर्गत 553 ब्रैन्डेड एम्बुलेंस संचालित हैं। इन एम्बुलेंसों के दोनों तरफ, सामने, उपर एवं पीछे के हिस्से पर पूर्व से चिपके हुए विनाईल स्टीकर को अच्छी तरह से हटाने एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा मुद्रित नये विनाईल स्टीकर को सभी 553 एम्बुलेंसों के दोनों तरफ, सामने, पीछे एवं छत के हिस्से पर संस्थापन हेतु विभिन्न एजेंसियों/फर्मों से मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। सभी 553 एम्बुलेंसों की प्रकारवार एवं जिलावार सूची Annexure-2 में निविदा के साथ संलग्न है। प्रत्येक Force Traveller एम्बुलेन्स पर लगभग 272 वर्ग फीट तथा TATA Winger एम्बुलेन्स पर लगभग 158 वर्ग फीट विनाईल स्टीकर चिपकाया जाना है।

mDr fufonk l sl a/kr foLr'r t kudj h ; Fk ik=rk ekun.M] vki frZ dh vof/k , oa 'kuk bR; kn jkT; LokLF; l fefr] fcgkj ds ocl kbW www.statehealthsocietybihar.org ij mi yC/k gA

एक बड़े लिफाफे के अंदर दो अलग-अलग लिफाफे डालकर बड़े लिफाफे के उपर bjkVfr , Ecyd l ok & iwZl s fpi ds foulbZy LVhdj dks gVkus rFk u; s foulbZy LVhdj ds l dFki u grq vYi dkyhu fufonk 2014P अवश्य अंकित होनी चाहिए।

- 1) तकनीकी निविदा हेतु & ^doj , bjkVfr , Ecyd l ok & iwZl s fpi ds foulbZy LVhdj dks gVkdj u; s foulbZy LVhdj l dFki u grqrdulfd fufonk 2014P एवं
- 2) वित्तीय निविदा हेतु – ^doj ch & bjkVfr , Ecyd l ok & iwZl s fpi ds foulbZy LVhdj dks gVkdj u; s foulbZy LVhdj l dFki u grqfoYfr fufonk 2014P लिफाफे के उपर अवश्य अंकित होना चाहिए।

अग्रधन राशि के रूप में ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो jkT; LokLF; l fefr] fcgkj i Vuk ds ule l snS , oai Vuk eaHxrs हो (State Health Society, Bihar and payable at Patna), तकनीकी बिड के साथ अवश्य संलग्न होना चाहिए। जिस निविदा के साथ अग्रधन राशि संलग्न नहीं होगी, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

fufonki wZ h h&fcM½ cSD: दिनांक 12 जून, 2014 को पूर्वाह्न 11 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के सभागार कक्ष में निर्धारित है। इच्छुक निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले सकते हैं।

vfire frffk %निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 20 जून, 2014 अपराहन 3 बजे तक या इससे पूर्व राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14 को प्राप्त हो जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जमा किये गये निविदा तथा किसी भी कारण से विलम्ब से प्राप्त हुये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

rduhdh fcM [ksyus dh frffk , oal e; %दिनांक 20 जून, 2014 अपराहन 4 बजे।

l fpo LokLF;
l g
dk; Zkyd funskd

vYi dkyhu fufonk

BJKVt , Ecyd lok & iwZl sfpids foubz LVhdj dks gVkus rFk u; s foubz LVhdj dsl lFki u grqvYi dkyhu fufonk 2014P

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना द्वारा बिहार राज्य के सभी जिलों में 102 एवं 108 सेवान्तर्गत 553 ब्रैन्डेड एम्बुलेंस संचालित हैं। इन एम्बुलेंसों के दोनों तरफ, सामने, पीछे के हिस्से पर पूर्व से चिपके हुए विनाईल स्टीकर को अच्छी तरह से हटाने तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा मुद्रित नये विनाईल स्टीकर को सभी 553 एम्बुलेंसों के दोनों तरफ, सामने, पीछे एवं छत के हिस्से पर संस्थापन हेतु विभिन्न एजेंसियों/फर्मों से मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। सभी 553 एम्बुलेंसों की प्रकारवार एवं जिलावार सूची Annexure-2 में निविदा के साथ संलग्न है। id Force Traveller , Ecyd ij yxHx 272 oxZQH rFk TATA Winger , Ecyd ij yxHx 158 oxZQH foubz fLVdj fpidk k t kuk g

इच्छुक फर्म/एजेंसी द्वारा मुहरबंद लिफाफे में सिर्फ निबंधित पोस्ट/स्पीड पोस्ट द्वारा निविदा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, के कार्यालय में वर्णित वांछित दस्तावेजों/कागजात इत्यादि सहित दिनांक 20 जून, 2014 को अपराह्न 3 बजे तक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जमा किये गये निविदा तथा किसी भी कारण से विलम्ब से प्राप्त हुये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

एक बड़े लिफाफे के ऊपर BJKVt , Ecyd lok & iwZl sfpids foubz LVhdj dks gVkus , oa u; s foubz LVhdj dsl lFki u grqvYi dkyhu fufonk 2014 अवश्य अंकित होनी चाहिए। इस बड़े मुहरबंद लिफाफा में निम्नांकित दस्तावेज दो अलग-अलग लिफाफों में होनी चाहिए:

1. एक लिफाफे के ऊपर doj 'A' BJKVt , Ecyd lok & iwZl sfpids foubz LVhdj dks gVkus , oa u; s foubz LVhdj dsl lFki u grq rdulfd fufonk 2014P अंकित कर उसमें तकनीकी निविदा समर्पित की जानी है।
2. दूसरे लिफाफे के ऊपर doj 'B' BJKVt , Ecyd lok & iwZl sfpids foubz LVhdj dks gVkus , oa u; s foubz LVhdj dsl lFki u grq foYt fufonk 2014P अंकित कर उसमें अलग से वित्तीय निविदा समर्पित की जानी है जिसमें Annexure 1 में स्टीकर को हटाने, नये स्टीकर को चिपकाने एवं उपयुक्त करों हेतु अलग-अलग दर (अंक एवं शब्द दोनों में) उद्धृत किया जाना है। अंक एवं शब्द में उद्धृत दर में भिन्नता रहने पर वो दर मान्य नहीं होगा।

vfuoK ZvlgYt तकनीकी निविदा के साथ निम्नांकित कागजात/दस्तावेज समर्पित किए जाने हैं। सभी जमा किए जा रहे दस्तावेजों को एजेन्सी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित (एजेन्सी की मुहर के साथ) किया जाना है तथा निविदा के आलोक में दिये जाने वाले शपथ पत्र भी उसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने हैं।

rdulfd fufonk dsl lFk l yXu fd; s t kus okys nLrkotk

1. उक्त वर्णित प्राधिकार पत्र (Authority letter) की मूल प्रति तकनीकी निविदा के साथ समर्पित की जानी है।
2. एजेंसी के नाम से निर्गत पैन कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति भी निविदा के साथ समर्पित किया जाना है। परंतु प्रतिष्ठान, Proprietorship के अंतर्गत होने की स्थिति में प्रतिष्ठान के स्वामी के नाम से निर्गत PAN CARD मान्य होगा।
3. इच्छुक एजेन्सी द्वारा गत तीन कर निर्धारण वर्षों यथा 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में दाखिल आयकर रिटर्न की अभिप्रमाणित छाया-प्रति को समर्पित किया जाना है।
4. इच्छुक निविदादाताओं का तीन वित्तीय वर्षों यथा 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 का प्रतिवर्ष न्यूनतम औसत टर्नओवर 10 लाख रुपये होना चाहिए। टर्नओवर के निर्धारण हेतु Chartered Accountant का प्रमाण-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
5. वित्तीय वर्षों यथा 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 का पूर्ण अंकेक्षण प्रतिवेदन एजेंसी/प्रोपराईटर के द्वारा समर्पित किया जाना है।
6. एजेन्सी को किसी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी विभाग अथवा लोक उपक्रम के साथ संबंधित कार्य का अनुभव होना चाहिए। इससे संबंधित दस्तावेज यथा कार्यादेश/हस्ताक्षरित अनुबंध/संबंधित कार्यालय द्वारा विधिवत् निर्गत

प्रमाण-पत्र इत्यादि की अभिप्रमाणित एवं मोहरांकित छायाप्रति भी निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

7. निविदा डालने वाली एजेन्सी को सर्विस टैक्स से निबंधित होना चाहिए। निबंधन प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया-प्रति को संलग्न किया जाना है।
8. निविदा के साथ अग्रधन राशि के रूप में ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के नाम से देय एवं पटना में भुगतेय हो (State Health Society, Bihar and payable at Patna), तकनीकी बिड के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न होना चाहिए। जिस निविदा के साथ अग्रधन राशि संलग्न नहीं होगी, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. निविदा डालने वाली एजेन्सी को किसी भी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी विभाग अथवा लोक उपक्रम द्वारा काली सूची बद्ध नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में निविदा प्रकाशन के उपरान्त निर्गत शपथ पत्र की मूल प्रति भी इस निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है।

fu; e , oa' 000%

1. निविदा में प्रस्तावित एम्बुलेंसों की संख्या राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है।
2. Associate एवं Joint Venture में डाली गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. मात्र तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदादाताओं के वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा।
4. एजेंसियों द्वारा वित्तीय निविदा हेतु मात्र संलग्न प्रपत्र (Annexure-1) में कार्यवार दर उद्धृत किया जाना है। जिसमें उपयुक्त करों की अलग-अलग विवरणी के साथ दर (अंक एवं शब्द दोनों में) उद्धृत किया जाना है। अन्य प्रपत्र में उद्धृत दर मान्य नहीं होगा।
5. चयनित एजेन्सी को कार्य सम्पादन के पूर्व राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं राज्य के एम्बुलेन्स सेवा प्रदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया जाना होगा।
6. कार्य सम्पादन के पूर्व चयनित एजेन्सी को Performance Guarantee स्वरूप कुल कार्य मूल्य (Value of work) का 7.5 प्रतिशत अथवा कार्यपालक निदेशक को जो मान्य हो, राशि का Bank Guarantee राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में जमा करना होगा जिसकी वैधता एकरारनामा हस्ताक्षरित करने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी।
7. एजेंसी के चयन के उपरांत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निर्गत कार्यादेश के आलोक में अधिकतम 45 दिनों के अंदर अथवा कार्यपालक निदेशक को जो मान्य हो, उस निर्धारित तिथि के अंदर सभी 553 एम्बुलेंसों पर विनाईल स्टीकर के पेस्टिंग का कार्य सम्पन्न करना है। कार्यावधि तक कार्य पूरा नहीं होने पर शेष बचे हुये एम्बुलेंस के कुल भुगतेय राशि का 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क की कटौती की जाएगी।
8. एम्बुलेंसों पर चिपकाने हेतु विनाईल स्टीकर को सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के निदेशानुसार विनिर्दिष्ट (specified) स्थल से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् एम्बुलेंसों पर पूर्व से चिपके विनाईल स्टीकर को अच्छी तरह हटाकर नये विनाईल स्टीकर को एजेंसी द्वारा अच्छी तरह चिपकाया जाना है। प्रत्येक एम्बुलेंस के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा मुद्रित विनाईल स्टीकर पर स्वास्थ्य संस्थान (जहाँ एम्बुलेंस का deployment किया गया है) का नाम अच्छी तरह देखकर संबंधित एम्बुलेंस पर विनाईल स्टीकर का संस्थापन किया जाना है।
9. संस्थापन के उपरांत विनाईल स्टीकर के मुद्रण एवं पेस्टिंग की गुणवत्ता को बरकरार रखने की पूर्ण जवाबदेही चयनित एजेंसी की होगी जिसकी जाँच राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा अपने व्यय पर नामित गुणवत्ता जाँच एजेंसी से करायी जायेगी।
10. कार्य में एजेन्सी द्वारा लापरवाही बरतने तथा अनावश्यक रूप से विलंब करने पर एजेन्सी को काली-सूची बद्ध करने तथा/अथवा अन्य अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
11. विनाईल स्टीकर को संबंधित स्थल पर संचालित एम्बुलेंसों पर चिपकाने के उपरांत कार्य संपादन के संदर्भ में संबंधित जिला में एम्बुलेंस कन्ट्रोल अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर एम्बुलेन्स के संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक अथवा सिविल सर्जन द्वारा नामित पदाधिकारी/कर्मी/संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर विपत्र के साथ भुगतान हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में समर्पित किया जाना है। स्टीकरिंग किये गये प्रत्येक एम्बुलेंस के छायाचित्र, जिसमें चालक एवं स्टीकर में प्रदर्शित स्वास्थ्य संस्थान का नाम तथा गाड़ी की संख्या स्पष्ट होनी चाहिए को भी अनिवार्य रूप से समर्पित किया जाना है।

12. सभी वांछित दस्तावेजों के साथ विपत्र समर्पित करने के बाद 70 प्रतिशत राशि का भुगतान 30 दिनों में करने का प्रयत्न किया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत राशि को तब तक के लिए रोककर रखा जायेगा जब तक उसकी गुणवत्ता की जाँच नहीं हो जाय। गुणवत्ता जाँच के क्रम में यदि गुणवत्ता निविदा में निर्धारित विशिष्टता अनुरूप होगी तो शेष राशि का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित कर दिया जायेगा। अन्यथा अल्प गुणवत्ता की स्थिति में मुद्रण एवं पेस्टिंग को सुधारने की जवाबदेही चयनित एजेंसी की होगी। इसके उपरांत ही शेष 30 प्रतिशत राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
13. इस निविदा के संदर्भ में किसी भी एजेन्सी द्वारा किए गए पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
14. कार्यपालक निदेशक द्वारा किसी भी समय उक्त निविदा को बिना कारण बताए स्थगित अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। इस संदर्भ में लिए गए निर्णय पर पुर्नविचार नहीं किया जाएगा।
15. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय में अपराह्न 3 बजे तक सिर्फ स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक द्वारा निविदा दिनांक 20 जून, 2014 तक अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। किसी भी कारणवश विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
16. तकनीकी निविदा दिनांक 20 जून, 2014 को अपराह्न 4 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के सभागार कक्ष में गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी। इच्छुक निविदादाता या उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिकतम एक व्यक्ति प्रति निविदादाता) तकनीकी निविदा खोलते वक्त उपस्थित रह सकते हैं।

सचिव, स्वास्थ्य
सह
कार्यपालक निदेशक